

न्यायालय श्रीमान् माननीय सदस्य महोदय, बोर्ड ऑफ रेव्यू कैम्प रीवा

(म0प्र0) निगरानी 966-III-15



विलोपित/विलोपित

२२-२०१-

1. राम सुन्दर त्रिपाठी तनय स्व0 सूर्य प्रसाद त्रिपाठी उम्र 76 वर्ष
2. शंकर कुमार त्रिपाठी तनय स्व0 गोकरण प्रसाद त्रिपाठी उम्र 46 वर्ष
3. राजाराम त्रिपाठी तनय स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी साकिन अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम  
सिद्धर  
सर्किट कोर्ट रीवा  
विनोद कुमार पिता लखपत चन्द जैन

2. अजीत कुमार पिता विजय कुमार जैन
3. शौरभ पिता जय कुमार जैन
4. प्रमोद कुमार पिता लखपतचन्द्र
5. विमल कुमार पिता लखपतचन्द्र
6. वीरेन्द्र कुमार पिता लखपतचन्द्र
7. जय कुमार पिता लखपतचन्द्र
8. मनोज कुमार पिता विजय कुमार

सभी का पेशा व्यापार सभी निवासी ग्राम अमरपाटन तह0 -  
अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....गैर निगराकार गण

विषय :- राजस्व निरीक्षक मण्डल अमरपाटन के द्वारा रा0प्र0क्र0 74अ12/13-14 में दिनांक 30.09.15 को अनुमोदित किये गये सीमांकन के विरुद्ध निगरानी।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मा0का0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि गैर निगराकार गणों ने ग्राम उमराही मथुरियान की आ0नं0 152/5/1, 153/1, रकवा क्रमशः 0.565 हे0, एवं 0.015 हे0, का जरिये रा0प्र0क्र0 74अ12/13-14 के माध्यम से दिनांक 30.09.2015 को सीमांकन अनुमोदित कराया है, जिसमें निगरानीकर्ता गणों को अतिक्रामक बताया गया

A. in Tragedy

91  
24.15

सी.आ.सु.द. दिनांक 07.4.15 के  
द्वारा आज दिनांक 07.4.15 के  
पसुत किया गया।


क्रमांक 4993  
पोस्ट द्वारा आज  
10-4-15 को प्राप्त  
Br. D. S. 10-4-15  
राजस्व मण्डल रा. प्र. ब. ग. लि. चर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-966-III/15

जिला-सतना

रामसुन्दर/ विनोद कुमार जैन

(1)	(2)	(3)
18.12.19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रामसुन्दर त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

152/5/1, 153/1, रकवा क्रमशः 0.565 ह०, एव 0.015 ह०, का जारेय रा0प्र0क्र0 74अ12/13-14 के माध्यम से दिनांक 30.09.2015 को सीमांकन अनुमोदित कराया है, जिसमें निगरानीकर्ता गणों को अतिक्रामक बताया गया

